**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4259**

**दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**बल्क ड्रग पार्क**

**4259. श्री अनुराग शर्मा:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आगामी बल्क ड्रग पार्कों में उद्योगों की सहायता करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेषज विनिर्माताओं के लिए सुचारू प्रचालन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योगों को इन पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने और महत्वपूर्ण औषधियों और एपीआई के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अथवा इसी प्रकार का नीतिगत ढांचा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे उपायों से भेषज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ने और आयात पर निर्भरता कम होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बल्क ड्रग पार्क पहल में इस उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त परियोजना की सफलता अवसंरचना, वित्तीय प्रोत्साहनों और कच्चे माल तक सतत पहुंच सहित सुदृढ़ नीतिगत समर्थन पर निर्भर करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की परिकल्पना क्या है और उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) से (च):** देश में तीन (3) बल्क औषधि पार्कों की स्थापना की सुविधा के लिए दिनांक 20.03.2020 को मंत्रिमंडल द्वारा बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढाँचा सुविधाओं के विनिर्माण द्वारा बल्क औषधि के विनिर्माण की लागत को कम करना है। इससे बल्क औषधि के उत्पादन के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था के विनिर्माण में भी मदद मिलेगी ।

बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना के अंतर्गत, विभाग को तेरह राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मूल्यांकन के बाद, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा या साझी अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) की परियोजना लागत का 70% (पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मामले में 90%), जो भी कम हो, के अधीन है। इस योजना के लिए आवंटित निधि 3000 करोड़ रुपये है। चयनित राज्यों में से प्रत्येक अर्थात गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है। इन तीनों चयनित पार्कों में विनिर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक है।

इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार से साझा अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे-

i. केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)
ii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
iii. बरसाती जल निकासी नेटवर्क
iv. साझा विलायक भंडारण प्रणाली, विलायक पुनर्प्राप्ति और आसवन संयंत्र
v. साझा माल-गोदाम
vi. फैक्ट्री गेट पर आवश्यक ट्रांसफार्मरों के साथ समर्पित विद्युत उप-स्टेशन और वितरण प्रणाली
vii. कच्चा, पीने योग्य और खनिज रहित जल
viii. भाप उत्पादन और वितरण प्रणाली
ix. साझी शीतलन प्रणाली और वितरण नेटवर्क
x. साझी रसद
xi. उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र, जो माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और स्थिरता कक्षों सहित एपीआई (सक्रिय औषधीय सामग्री) की जटिल परीक्षण/अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त
xii. आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र
xiii. सुरक्षा/खतरनाक परिचालन लेखा परीक्षा केंद्र और
xiv. उत्कृष्टता केंद्र आदि।

एक कुशल आपूर्ति प्रणाली का लाभ उठाने के लिए एक स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र में बल्क औषधि पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। गुजरात जंबूसर, भरूच, में 2015 एकड़ भूमि पर बल्क औषधि पार्क स्थापित कर रहा है। जम्बूसर में बल्क औषधि पार्क के आसपास के क्षेत्र में बल्क औषधि और केमिकल (दहेज, गुजरात में पीसीपीआईआर-पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन) उद्योग मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश नक्कापल्ली, अनकापल्ली में 2001.80 एकड़ भूमि पर बल्क औषधि पार्क स्थापित कर रहा है और यह

विशाखापत्तनम-काकीनाडा पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन में है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा बल्क औषधि उत्पादन के लिए रसायन का प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा जिले में तीन प्रमुख फार्मा क्लस्टर हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार हरोली, ऊना में 1405 एकड़ में बल्क औषधि पार्क स्थापित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र विश्व स्तर पर फॉर्म्यूलेशन औषधि के उत्पादन के लिए जाना जाता है।

बल्क औषधि पार्क रियायती दर पर भूमि और बिजली, पानी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, माल-गोदाम जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तीनों राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां (एसआईए) भी निश्चित पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट आदि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।

बल्क औषधि पार्कों में आयात निर्भरता को कम करने, विनिर्माण लागत को कम करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, तकनीकी उन्नति और गुणवत्ता मानकों में सुधार करके भारत में औषधीय उद्योग को उत्प्रेरित करने की क्षमता है।

*****